रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक/अका./2026/671 जबलपुर, दिनांक 07/10/2026

अधिसूचना

सर्वसम्बधितों के लिए एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधि महाविद्यालयों की सत्र 2027–28 की अस्थायी सम्बद्धता/निरंतरता की प्रकिया 31 दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण की जाना है। तत्संबंध में निरीक्षण समिति का गठन होना है। इस संबंध में विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 17/09/2025 में लिये गये निर्णयानुसार, विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदण्डों की पूर्ति, कोड–28 अंतर्गत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति एवं महाविद्यालयों की अधोसंरचना की पूर्ति निरीक्षण के पूर्व सुनिश्चित करें । समस्त विधि महाविद्यालयों में संचालित पाठयक्रमों की सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दिनॉक 30 अक्टूबर, 2026 निर्धारित है। 01 नवम्बर, 2026 से 15 नवम्बर, 2026 तक 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क जमा की जा सकती है।

निरीक्षण समिति द्वारा विधि महाविद्यालयों में कमियों की पूर्ति पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता/निरंतरता की कार्यवाही विलम्बित होती है तो सम्पूर्ण जवाबदेही महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार,

Saudh

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर

पृ0 क्रमांक/अका./2026/671 "अ" जबलपुर, दिनांक 07/10/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों के प्राचार्यगण।
2. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. प्रभारी आई.क्यू.ए.सी. सेल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. कुलगुरू जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर